172

9053/दो/20

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग -9058 -II-16

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

मोतीलाल पुत्र श्री डरूआ काछी
निवासी– ग्राम शिवराजपुर तहसील राजनगर जिला–छतरपुर (म.प्र.)
...... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन
...... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 753-I/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02.03.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम शिवराजपुर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 2021/1/3 रकवा 1.220 है0 एवं सर्वे क्रमांक 222/1/2 रकवा 1.619 है0 भूमि का आवंटन मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत आवेदक के हित में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–19 (4)/01–02 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 06.07.2002 से भूमि स्वामी अधिकारो का आवंटन किया गया था।

2– यहकि, तहसील न्यायालय के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा म.प्र. शासन द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं गयी थी। जबकि उपरोक्त आदेश अपीलीय आदेश था ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग उपरोक्त प्रकरण में नहीं किया जा सकता।

3– यहकि, तहसील न्यायालय के उपरोक्त आदेश को अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण क्रमांक 102/अ–19 (4)/2005–06 में लिया जाकर कारण बताओ सूचना पत्र आवेदक को जारी किया गया। जिसका विधिवत् जबाव उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नाविलोकन 9058/दो/2016 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23-6-16	यह पुर्नाविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 753 –एक/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02.03.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा ग्राम शिवराजपुर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 221/1/3 रकवा 1.220 है0 सर्वे क्रमांक 222/1/2 रकवा 1.619 है0 का आबंटन में म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम सन् 1984 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप क में आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रश्नाधीन भूमि के पर उसका वर्ष 1984 के पूर्व से लगातार कब्जा चला आ रहा है, वह भूमिहीन है तथा लगातार 30 वर्षो से उसका कब्जा पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 04/ अ–19(4)/2001–02 पंजीबद्ध किया जाकर	

आदेश दिनांक 06.07.2002 से आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं.221/1/3 के रकवा 1.220 है0 एवं सर्वे क्रमांक 222/1/2 रकवा 1.619 है0 का भूमिस्वामी घोषित किया गया। उक्त आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया और पारित आदेश दिनांक 01.04.2015 पारित कर तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2002 निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। अपर कलेक्टर, छतरपुर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण क्रमांक 753–एक/2015 प्रस्तुत की गयी थी, जो आदेश दिनांक 02.03.2016 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह वर्तमान पुर्नाविलोकन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि आवेदक को तहसीलदार राजनगर द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम सन् 1984 के अनुसार व्यवस्थापन किया गया था, जिसके पश्चात् आवेदक द्वारा उक्त भूमि को कृषि उपयोगी बनाया गया, जिसमें आर्थिक व्यय एवं शारीरिक श्रम किया गया। आज वर्तमान में उपरोक्त भूमि कृषि उपयोगी हो गयी है, किन्तु अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण को अधिक समय बाद स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है। जबकि लम्बे समय पश्चात्

प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में 1994 आर.एन. 392, 2010 आर.एन. 273, 2011 आर.एन. 426, 2010 आर.एन. 409 उच्च.न्याया. के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये। इस वैधानिक तथ्य पर माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी में विचार नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश को पुर्नविलोकन में लिया जाकर माननीय न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 02.03.2016 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4- अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया कि अपर कलेक्टर जिला छतरपुर एवं माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जो कार्यवाही कर आदेश पारित किये है, वह विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5- प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक के तर्को पर मनन किया गया एवं मेरे द्वारा विभिन्न अधिनस्थ न्यायालय के आदेश आदेशों सूक्ष्य अध्ययन किया। तहसीलदार राजनगर का आदेश दिनांक 06.07.2002 एक अपीलीय आदेश था, जिसके विरुद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा शासन द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है। अपीलीय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। जहाँ तक

अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के आदेश का प्रश्न है तो उनके द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रकरण स्वमेव निगरानी में अधिक समय बाद लिया है। जबकि न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 392 उच्च.न्याया., 2010 आर.एन.273 उच्च न्याया., 2011 आर.एन.426, 2010 आर.एन.409 पूर्ण पीठ में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग–आदेश की अवैधता, अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिए – 180 दिन के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजरअंदाज कर जो आदेश अपर कलेक्टर जिला छतरपुर एवं इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2015 एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 02.03.2016 निरस्त किये जाते हैं और तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2002 स्थिर रखा जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें, तदनुसार यह वर्तमान पुर्नाविलोकन समाप्त किया जाता है।

सदस्य